प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2018

विषयः- एस0जी0पी0जी0आई0 में इमरजेंसी मेडिसिन एवं क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीबर ट्रान्सप्लांट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रान्सप्लांट सेन्टर के उच्चीकरण से संबंधित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीजीआई/निदेशक कैम्प/527/2018, दिनांक 02-02-2018 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-116/2016/3530/71-2-2016-पी-35/2015, दिनांक 26-9-2016 तथा शासनादेश संख्या-117/2016/4078/71-2-2016-पी-35/2015, दिनांक 26-9-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में एस0जी0पी0जी0आई0 में इमरजेंसी मेडिसिन एवं क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीबर ट्रान्सप्लांट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रान्सप्लांट सेन्टर के उच्चीकरण हेतु रू0 5,70,32,00,000/- (रूपया पांच अरब सतर करोड़ बत्तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) प्रायोजना की अनुमोदित लागत रू0 570.32 करोड के सापेक्ष रू0 473.00 करोड का सावधिक ऋण संस्थान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से लिया जायेगा। प्रायोजना की अवशेष धनराशि इक्विटी के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। ऋण के सम्बन्ध में दी गयी समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थायी विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय। संस्थान/निर्माण एजेंसी द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाय।
3) प्रायोजना प्रस्ताव में कतिपय कार्यमदों यथा-वाह्य विद्युतीकरण, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम, माड्यूलर ओ0टी0, सेन्ट्रल ए0सी0, लिफ्ट, पी0ए0 सिस्टम, एड्रेस एलार्म सिस्टम, बूम बैरियर सिस्टम, इम्पोर्टेड माड्यूलर एण्ड प्री-फैब्रीकेटेड आथरेशन थियेटर, 2 के0वी0 यू0पी0एस0, 3 मी0 लांग आरनामेन्टल पोल, 7 मी0 टेपर्ड आक्टागोनल पोल, एल0टी0 पैनल, एच0टी0 पैनल, मैटल फाल्स सीलिंग, एन्टी स्किड, एन्टी बैक्टीरियल एण्ड एन्टी फंगल विनायल फ्लोरिंग, स्ट्रक्चरल ग्लास डोर, जी0आर0सी0 जाली, सी0सी0टी0वी0, मेडिकल गैस पाइप लाइन, कम्प्यूटर नेटवर्किंग का प्राविधान किया गया है, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
4) प्रायोजना का आगणन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित किया गया है। अतः प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा उस विस्तृत आगणन, व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।
5) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर प्रभाग का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।
6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7) प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित जी0एस0टी0 की लागत को अनुमन्य नही किया गया है, जो नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगा।
8) प्रायोजना में प्रस्तावित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।

10) स्वीकृत की जा रही वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेक्स चार्ज लिया जायेगा।

11) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा प्रस्तावित निर्माण कार्य में धनराशि अवमुक्त करते समय निदेशक संस्थान द्वारा वित्त विभाग के अन्य समत संगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

13) ऋण वापसी के संबंध में निदेशक संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैंक द्वारा निर्धारित त्रैमासिक भुगतान शिड्यूल का अनुपालन करते हुए संस्थान के अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं में किसी प्रकार की चूक न हो।

14) शासी निकाय के निर्णयानुसार संस्थान द्वारा उक्त ऋण से सृजित परिसम्पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने के समस्त प्रयास किये जायेंगे। संस्थान द्वारा ऋण की अदायगी निर्धारित री-पेमेन्ट शेड्यूल के अनुसार नियमित रूप से की जायेगी।

15) संस्थान द्वारा वर्षानुवर्ष अवशेष गारंटी की राशि पर 01 प्रतिशत वार्षिक की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा। संस्थान द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में काउन्टर गारंटी निष्पादित की जायेगी।

16) संस्थान के पत्र संख्या-10011/पी.जी.आई/निदे./कैम्प्/2016, दिनांक 25-7-2016 में उल्लिखित शर्तो/प्रक्रिया का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

17) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/533/दस-2018, दिनांक 27 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 29/2018/628(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) असिस्टेंट जनरल मैजेजर, एस0बी0आई0, वाणिर्जिक शाखा, गोखलेमार्ग, लखऊ।
4) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
5) वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।